भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1124

18.09.2020 को उत्तर के लिए

वन क्षेत्र

1124. श्री जी.एम. सिद्देश्वर :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रमुख शहरी क्षेत्रों में सड़कों, भवनों, पुलों, मार्गों इत्यादि जैसी अवसंरचना के अनुपात में कुल वन क्षेत्र भूमि कितनी है;

(ख) क्या कुल वन क्षेत्र भूमि घट रही है, यदि हां, तो 2019 की तुलना में 2010 में वन क्षेत्र की स्थिति राज्य-वार क्या थी;

(ग) क्या शहरी क्षेत्रों में इन दोनों का एक निर्धारित अनुपात बनाये रखने हेतु कोई विनियम है;

(घ) यदि हां, तो क्या शहरों में उक्त अनुपात ठीक प्रकार से बनाये रखा जाता है; और

(ड.) यदि नहीं, तो क्या सरकार इसे सुनिश्चित करने हेतु ऐसा कोई विनियम बनाने पर विचार कर रही है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क) प्रमुख शहरी क्षेत्रों में सड़कों, भवनों, पुलों, मार्गों इत्यादि जैसी कुल शहरी अवसंरचना की तुलना में वन आवरण के अंतर्गत आने वाली भूमि का कोई निर्धारित अनुपात नहीं है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के "शहरी और क्षेत्रीय विकास योजना और कार्यान्वयन संबंधी दिशा-निर्देशों (यूआरडीपीएफआई), 2014" में विनिर्दिष्ट है कि छोटे और मध्यम नगरों में कुल क्षेत्र के लगभग 12-14% क्षेत्र को तथा बड़े शहरों और महानगरों में कुल क्षेत्र के लगभग 14-16% क्षेत्र को मनोरंजन उपयोग (वन, उद्यान, खेल के मैदान और सामुदायिक-सभाओं के लिए अन्य खुले स्थलों सहित) हेतु रखा जाना चाहिए।

(ख) जी, नहीं। भारतीय वन सर्वेक्षण, देहरादून देश के वन आवरण का द्विवार्षिक रूप से आकलन करता है और इसके परिणामों को भारत वन स्थिति रिपोर्ट (आईएसएफआर) में प्रकाशित किया जाता है। आईएसएफआर 2011 के अनुसार, देश में कुल वन आवरण 6,92,027 वर्ग किलोमीटर था। आईएसएफआर-2011 और आईएसएफआर-2019 के बीच, वन आवरण में 20,222 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि देखी गई है। वर्ष 2011 और 2019 में वन आवरण का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा **अनुबंध** में दिया गया है।

(ग) से (ङ) भाग (क) में उल्लिखित अनुसार, यूआरडीपीएफआई दिशानिर्देशों, जो परामर्शी प्रकृति के हैं, में वन/खुले हरित-क्षेत्र (मनोरंजन) के अंतर्गत आने वाली भूमि और अन्य उपयोगों के बीच का अनुपात निर्धारित किया गया है। इस अनुपात को बनाए रखने का कार्य, शहरी स्थानीय निकायों और शहरी विकास प्राधिकरणों के कार्य-क्षेत्र के अंतर्गत आता है।

*****

अनुबंध

'वन क्षेत्र' के संबंध में दिनांक 18.09.2020 को उत्तर के लिए पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1124 के भाग(ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

आइएसएफआर-2011 और 2019 के अनुसार राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार वन आवरण और वन आवरण में परिवर्तन

(वर्ग किलोमीटर में क्षेत्र)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	भौगोलिक क्षेत्र	वन आवरण (आइएसएफआर 2011)	वन आवरण (आइएसएफआर 2019)	वन आवरण में परिवर्तन (आइएसएफआर 2011 और 2019 के बीच)
आंध्र प्रदेश	1,62,968	46,389	49,719	3,330
अरुणाचल प्रदेश	83,743	67,410	66,688	-722
असम	78,438	27,673	28,327	654
बिहार	94,163	6845	7306	461
छत्तीसगढ़	1,35,192	55,674	55,611	-63
दिल्ली	1,483	176.20	195.44	19
गोवा	3702	2,219	2,237	18
गुजरात	1,96,244	14,619	14,857	238
हरियाणा	44,212	1,608	1,602	-6
हिमाचल प्रदेश	55,673	14,679	15,434	755
जम्मू और कश्मीर	2,22,236	22,539	23,612	1,073
झारखंड	79,716	22,977	23,611	634
कर्नाटक	1,91,791	36,194	38,575	2,381
केरल	38,852	17,300	21,144	3,844
मध्य प्रदेश	3,08,252	77,700	77,482	-218
महाराष्ट्र	3,07,713	50,646	50,778	132
मणिपुर	22,327	17,090	16,847	-243
मेघालय	22,429	17,275	17,119	-156
मिजोरम	21,081	19,117	18,006	-1111
नगालैंड	16,579	13,318	12,486	-832
ओडिशा	1,55,707	48,903	51,619	2716
पंजाब	50,362	1,764	1,849	85
राजस्थान	3,42,239	16,087	16,630	543
सिक्किम	7096	3359	3342	-17
तमिलनाडु	1,30,060	23,625	26,364	2739
तेलंगाना	1,12,077	*	*	*
त्रिपुरा	10,486	7977	7726	-251
उत्तर प्रदेश	2,40,928	14,338	14,806	468
उत्तराखंड	53,483	24,496	24,303	-193
पश्चिम बंगाल	88,752	12,995	16,902	3,907
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	8,249	6724	6743	19
चंडीगढ़	114	17	22	5
दादरा और नगर हवेली	491	211	207	-4
दमन और दीव	111	6.15	20.49	14
लक्षद्वीप	30	27.06	27.10	0
पुडुचेरी	490	50.06	52.41	2
कुल योग	**32,87,469**	**6,92,027**	**7,12,249**	**20,222**

* वन आवरण में परिवर्तन की गणना के लिए आंध्र प्रदेश के वन आवरण और तेलंगाना के वन आवरण के आंकड़ों को संयुक्त रूप से दर्शाया गया है।